## <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.— 543/13</u> संस्थित दिनांक— 24.12.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

जसपाल सिंह यादव पुत्र प्राणिसह यादव उम्र 35 साल निवासी— ग्राम सलोना तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 29.06.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 324, 506बी तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—13.12.2012 को शाम 05:30 बजे फरियादी चंदन सिंह के ट्यूवबैल के पास चंदन सिंह को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—13.12.2012 को करीब 05:30 बजे शाम को फरियादी चंदन सिंह अपने टयूब वैल से खेत में पानी दे रहा था, कि पुरानी रंजिश पर से जसपाल गाली देते हुये आया फरियादी मना गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने दाहिने कंधे में काट लिया, जिससे खून निकल आया, एवं थप्पडों से मारपीट की फरियादी को जमीन पर पटक दिया, जिससे फरियादी के बाये पैर के घुटने में मुदी चोट आयी घटना के समय फरियादी चिल्लाआ तो फरियादी का भाई अरविंद तथा शिशुपाल आ गये, फरियादी ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—114/12 अंतर्गत धारा—323 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी को दांतों से उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक—400/12 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—29.06.17 को फरियादी राजपाल के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा—506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक—13.12.2012 को शाम 05:30 बजे फरियादी चंदन सिंह के ट्यूवबैल के पास चंदन सिंह को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति की ?
  - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी चंदन सिंह (अ0सा0—1) के एक मात्र कथन न्यायालय में कराये गये। अभियोजन घटना के संबंध में चंदन सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि चार वर्ष पूर्व शाम चार पांच बजे जब वो खेत पर था, तो अभियुक्त ने पूर्व के जमीन के विवाद की रंजिश के चलते उसे खेत पर गालियां दी जिससे मौके पर उसका बातावरण हो गया था। फरियादी का कहना है कि उसने घटना की सूचना दीवान जी को गावं में दी थी, जिन्होने उसे चौकी पर बुलाकर किसी कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। इस साक्षी ने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं, परन्तु इस साक्षी का कहना है रिपोर्ट प्र0पी0 1 में क्या लिखा है उसे इस बात की जानकारी नहीं है।
- 07— फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के समर्थन में खेत पर अभियुक्त से विवाद होना तो बताता है, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध उसके साथ मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०—1) अपने मुख्यपरीक्षण में प्र0पी0—1 की रिपोर्ट के विपरीत अभियुक्त के द्वारा मात्र गाली दिये जाने की घटना बताता है तथा इसी संबंध में पुलिस को भी रिपोर्ट लेख कराना बताता है। अतः फरियादी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में अनुसार अभियुक्त ने घटना में केवल गालिया दी थी तथा फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की।
- 08— फरियादी चंदन सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देने के कारण अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया। परन्तु चंदन सिंह (अ0सा0—1) ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नही किया की, अभियुक्त ने उसे घटना में दातों से काटकर या मारपीट कर उपहित कारित की। चंदन सिंह (अ0सा0—1) अपने कथनों में अपने कंधें पर दांतों से काटे की चोट एवं पैरों में चोट होना स्वीकार करता है तथा पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाना भी

स्वीकार करता है, परन्तु फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०–1) उक्त चोटें किसी अन्य घटना की पूर्व की होना बताता है तथा इस बात का स्पष्ट खण्डन करता हैं कि उक्त चोटें अभियुक्त के द्वारा कारित की गयीं।

- 09— फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०—1) का अभियोजन घटना के विपरीत यह कहना है कि घटना में अभियुक्त ने केवल गालियां दी थी उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थीं तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का यह कहना है कि अभियुक्त ने उसे कंधें में नहीं काटा था तथा घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। अतः फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०—1) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी और अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ था तथा विवाद के बाद हुये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के कंधें में दांतों के काटने की चोट थीं परन्तु फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करते हुये स्पष्ट रूप से उक्त चोटें अभियुक्त द्वारा कारित न किया जाकर किसी दूसरी घटना की होना बताया गया है अतः प्र0पी0—1 की रिपोर्ट एवं प्र0पी0—3 के पुलिस कथनों में मारपीट के संबंध में उल्लेखित घटना पुलिस को बताये जाने से ही इन्कार किया है।
- 10—अतः फरियादी चंदन सिंह (अ०सा०—1) के कथनों सें यह साबित नही होता है कि फरियादी के कंधें पर दांतों से कारित की गयी चोट अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी है। फलस्वरूप उपरोक्त आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक 13.12.2012 को शाम 05:30 बजे फरियादी चंदन सिंह के ट्यूवबैल के पास चंदन सिंह को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति की।
- 11— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक—13.12.2012 को शाम 05:30 बजे फिरयादी चंदन सिंह के ट्यूवबैल के पास चंदन सिंह को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहित की।
- 12— फलस्वरूप <u>अभियुक्त जसपाल सिंह यादव पुत्र प्राणिसह यादव</u> के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त <u>अभियुक्त जसपाल सिंह यादव पुत्र प्राणिसह यादव</u> को भा०दं०वि० की धारा—324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— अभियुक्त <u>अभियुक्त जसपाल सिंह यादव पुत्र प्राणसिह यादव</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)